हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

16.04.26

लक्ष्मी बनाम धनराज वगै.

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश

07 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी

पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी/वादी अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी 01 अभिभाषक श्री आशा भारी उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11, 151 सीपीसी पर सुना गया।

1. पत्रावली में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी ने अपने दावे के पैरा संख्या 2 में मोहनी देवी के नाम एक खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम सुजानदेसर के खाता संख्या 109 के खसरा नंबर 106/1 तादादी 0.3800 हैक्टेयर के बाबत् उक्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तरीके से बंटवारे का अनुतोष चाहा है। वादिनी द्वारा उक्त प्रकरण में सही व वास्तविक स्थिति को छिपाकर आप श्रीमान् के समक्ष दावा पेश कर दिया है जबकि सही व वास्तविक स्थिति यह है कि मोहनी देवी पत्नी श्री सोहनलाल द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत श्रीमान् उप पंजीयक महोदय संख्या 1 के समक्ष दिनांक 19.10.2010 को रूबरू गवाहों के समक्ष निष्पादित की थी। उक्त वसीयत श्रीमान् उपपंजीयक महोदय संख्या 1 के समक्ष विधिवत रूप से पंजीबद्ध होकर उनके कार्यालय के पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 110 में पृष्ठ संख्या 172, क्रम संख्या 2010000572 पर पंजीबद्ध किया जाकर उसकी अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 118 के पृष्ठ संख्या 432 से 436 पर चस्पा किया गया। स्व. मोहनी देवी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत अंतिम थी। उस वसीयत के अनुसार मोहनी देवी की अंतिम ईच्छा अनुसार उक्त वसीयत को चार भागो में विभाजित करते हुए स्व ईच्छा से उक्त संपति में स्थित

Scanned with OKEN Scanner

गंदे पानी का नाला जो उक्त संपति का मुख्य रास्ता है, उस तरफ उत्तर दिशा में नायको के मौहल्ले की तरफ गली है, वहां से 70 फुट का फन्ट देते हुए पीछे की तरफ जो लक्ष्मी देवी का मकान है जो उक्त विवादित संपति के लगभग मध्य में बना हुआ है उससे 22 फुट की दूरी पर वादिनी लक्ष्मी देवी ने पत्थर की पट्टी रोप रखी है जो कुल मिलाकर आधा बीघा कच्चा से अधिक नहीं होगी, को वादिनी लक्ष्मी देवी पत्नी धन्नाराम को वसीयत की थी। जो उक्त संपति का दोनो तरफ से रास्ता खुलेगा, जो मुख्य रास्ता नाले की तरफ जो 70 फुट चौड़ा है। दूसरी तरफ जो गली है, वो हिस्सा वादिनी लक्ष्मी देवी के हक में वसीयत की थी। वादिनी लक्ष्मी देवी की भूमि के पीछे अर्थात् उसके आधे बीघा कच्चा के पूर्व की दिशा पर एक प्लॉट जो कुल 900 गज से अधिक नहीं होगा, जो मौके पर चिन्हित किया हुआ है उसके हिसाब से जिसका रास्ता केवल उत्तर दिशा नायको की गली की तरफ खुलेगा, वो अपनी पुत्री यानि प्रतिवादी संख्या 2 ममोल उर्फ ममुल देवी पत्नी गणेश पड़िहार के हक में वसीयत निष्पादित की थी। स्व. मोहनी देवी ने अपनी उक्त अंतिम वसीयत दिनांक 19.10.2010 के अनुसार उक्त अचल संपति की अंतिम पूर्व दिशा से मुख्य बिन्दु मानते हुए 165–165 यानि 1 बीघा पक्का जो लक्ष्मी देवी के मध्य में बने मकान के पीछे का हिस्सा है। इस एक बीघा में दो रास्ते होगे, जो एक उत्तर की तरफ तथा दूसरा पूर्व की ओर इसके अलावा कहीं पर भी दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई खिड़की दरवाजे नहीं खोलेगा ना लगायेगा, से एक बीघा अचल जायदाद कृषि भूमि में अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 धनराज पंवार पुत्र सोहनलाल पंवार के हक में निष्पादित की है। इसके उपरान्त भी मोहनी देवी ने अपने हक हिस्से की भी कृषि भूमि अपने एकमात्र पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 धनराज को देने की वसीयत निष्पादित कर दी है, क्योंकि उनकी सेवा चाकरी एकमात्र पुत्र धनराज ने ही की थी। मोहनी देवी की उक्त अंतिम वसीयत के पश्चात् व अंतिम ईच्छा के अनुरूप वसीयत के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार वादिनी तथा प्रतिवादी के मध्य उसी वक्त मोहनी देवी के जीवित रहते उक्त

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

संपति का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तरीके से होने के पश्चात् भी वादिनी द्वारा लगाया गया दावा झूठ की बिनाय पर लगाया गया है, जो खारिज होने के योग्य हैं। स्व. मोहनी देवी का देहान्त दिनांक 12.01.2026 को हो जाने के पश्चात् उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 19.10.2010 प्रभाव में आ जाने के कारण उक्त वादिनी तथा प्रतिवादी उक्त वसीयत के अनुसार अपने अपने हिस्से के मालिक व काबिज हुए। वादिनी लक्ष्मी देवी द्वारा अपने हक हिस्से की जमीन उक्त वसीयत के प्रभाव में आने से पूर्व ही अन्य को विक्रय कर दी थी, इस विक्रय होने में सभी वादी प्रतिवादी व स्वंय मोहनी देवी इच्छुक थे। वादिनी तथा प्रतिवादिनी को उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 19.10.2010 का ज्ञान व विश्वास था और उक्त कृषि भूमि का स्वर्गीय मोहनी देवी द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवारा कर जाने के पश्चात् भी वादिनी द्वारा उक्त झूठा दावा पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य हैं।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में अभिभाषक अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्णित कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस वसीयत का जिक्र किया है वह वसीयत प्रतिवादी के अनुसार दिनांक 19.10.2010 को निष्पादित की गयी है और वसीयत श्रीमती मोहनी देवी की पूरी कृषि भूमि रोही श्रीरामसर के खसरा नंबर 105 तादादी 0.21 हैक्टयर, खसरा नंबर 106, तादादी 0.38 हैक्टयर यानि 3 बीघा 18 बिस्वा कच्चा और 2.33 बीघा पक्का कृषि भूमि की निष्पादित की गई थी परंतु प्रतिवादी प्रार्थी ने इस वसीयत के बाद उक्त वसीयतशुदा सम्पति में से खसरा नंबर 105 की 0.21 हैक्टयर भूमि की गिफ्ट डीड स्व. श्रीमती मोहनी देवी से अपने हक में दिनांक 12.04.2012 को उपपंजीयक बीकानेर से पंजीबद्ध करवा ली गयी। जिससे यह साबित हुआ कि मोहनी देवी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 19.10.2010 का वजूद इस गिफ्ट होने के बाद खत्म हो गया। इसलिए मोहनी देवी द्वारा की गई उक्त वसीयत अंतिम वसीयत नहीं रही। इसके अलावा मोहनी देवी ने अपनी उक्त वसीयतशुदा कृषि भूमि में से

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

2033.56 वर्गगज भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20.06.2012 को 5,00,000/- रूपये में श्रीमती सरोज साध पत्नी श्री जुगलकिशोर साध जाति साध निवासी हनुमान मंदिर केपास, बागीनाडा रानी बाजार, बीकानेर के हक में विक्रय कर दी थी। ये दोनो दस्तावेज उक्त वसीयत के पश्चात निष्पादित किये गये। इसलिए उक्त वसीयत निष्प्रभावी व शून्य हो गई। पार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकन किया है कि वादिनी ने अपने दावा में वाद कारण का उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तथ्य बिल्कुल झूठ है क्योंकि वादिनी ने अपने दावा में वाद कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने जिस वसीयत को अपने प्रार्थना पत्र का आधार माना है उसी वसीयत को अपने प्रार्थना पत्र में बार बार तथाकथित वसीयत अंकित किया है। तथाकथित का अर्थ होता है कि वो दस्तावेज जिसका वर्णन किया जा रहा है वह संदेहास्पद है तथा जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तथाकथित यानी So-called का वास्तविक अर्थ है कि जिस वस्तु के बारे में या दस्तावेज के बारे में दावा किया गया है उसकी प्रमाणिकता पर संदेह है। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिवादी स्वयं उक्त वसीयत को तथाकथित यानि जिसकी प्रमाणिकता पर संदेह है के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करता है, ऐसे संदेहास्पद दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. **उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।**

- योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि स्व. मोहनी देवी पत्नी श्री सोहनलाल द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत श्रीमान् उप पंजीयक महोदय संख्या 1 के समक्ष दिनांक 19.10.2010 को निष्पादित की थी। मोहनी देवी की अंतिम ईच्छा अनुसार उक्त वसीयत को चार भागो में विभाजित करते हुए स्व ईच्छा से वसीयत निष्पादित की थी। स्व. मोहनी देवी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत अंतिम थी। स्व. मोहनी देवी का देहान्त

सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12.01.2026 को हो जाने के पश्चात् उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 19.10.2010 प्रभाव में आ जाने के कारण उक्त वादिनी तथा प्रतिवादी उक्त वसीयत के अनुसार अपने अपने हिस्से के मालिक व काबिज हुए। वादिनी लक्ष्मी देवी द्वारा अपने हक हिस्से की जमीन उक्त वसीयत के प्रभाव में आने से पूर्व ही अन्य को विक्रय कर दी थी। अतः वादीनी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। दावा वादी बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आने के कारण खारिज योग्य है।

- प्रत्युत्तर में अप्रार्थी/वादी के योग्य अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जिस वसीयत का जिक किया है वह वसीयत प्रतिवादी के अनुसार दिनांक 19.10.2010 को निष्पादित की गयी है और वसीयत श्रीमती मोहनी देवी की पूरी कृषि भूमि रोही श्रीरामसर के खसरा नंबर 105 तादादी 0.21 हैक्टयर, खसरा नंबर 106, तादादी 0.38 हैक्टयर यानि 3 बीघा 18 बिस्वा कच्चा और 2.33 बीघा पक्का कृषि भूमि की निष्पादित की गई थी परंतु प्रतिवादी प्रार्थी ने इस वसीयत के बाद उक्त वसीयतशुदा सम्पति में से खसरा नंबर 105 की 0.21 हैक्टयर भूमि की गिफ्ट डीड स्व. श्रीमती मोहनी देवी से अपने हक में दिनांक 12.04.2012 को उपपंजीयक बीकानेर से पंजीबद्ध करवा ली गयी। इसके अलावा स्व. मोहनी देवी ने अपनी उक्त वसीयतशुदा कृषि भूमि में से 2033.56 वर्गगज भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.06.2012 को श्रीमती सरोज साध पत्नी श्री जुगलकिशोर साध जाति साध निवासी हनुमान मंदिर केपास, बागीनाडा रानी बाजार, बीकानेर के हक में विक्रय कर दी थी। ये दोनो दस्तावेज उक्त वसीयत के पश्चात निष्पादित किये गये। इसलिए उक्त वसीयत निष्प्रभावी व शुन्य हो गई। प्रार्थी/प्रतिवादी ने जिस वसीयत को अपने प्रार्थना पत्र का आधार माना है उसी वसीयत को अपने प्रार्थना पत्र में बार बार

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

तथाकथित वसीयत अंकित किया है। तथाकथित का अर्थ होता है कि वो दस्तावेज जिसका वर्णन किया जा रहा है वह संदेहास्पद है तथा जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिवादी स्वयं उक्त वसीयत को तथाकथित यानि जिसकी प्रमाणिकता पर संदेह है तथा वादिनी ने अपने दावा में वाद कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

4. अतः हमें यह देखना है कि क्या यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत अस्वीकार/नामंजूर किये जाने योग्य है।

- प्रश्नगत राजस्व वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर तथ्यों से पेश किया है जिसमें वादगत भूमि पर वादी का कब्जे के अभाव व वाद कारण हासिल नहीं होने, बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में होने एवं तथ्यों को छिपाते हुए यह दावा कोर्ट के प्रोसेस का दुरूपयोग करते हुए पेश किया है जो मैरिटलैस एवं बोगस होने के तथ्यों के साथ अप्रार्थी/वादी का वाद चलने योग्य नहीं बताया।

आदेश 07 नियम 11:– वादपत्र का नामंजूर किया जाना–
(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वार अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है

(ड.) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है

(च) जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा तब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।]

5. इसके अतिरिक्त अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दृष्टांत RLW 2008 page 1390 इस आधार पर पेश किया गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुच्छ मुकदमों को इस आधार पर जारी रखना कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें धारा 151 सीपीसी प्रावधानों के तहत न्यायालय अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाद खारिज कर सकता है।

6. हमने वादपत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी, जवाब, आदि मय दस्तावेजों का अध्ययन किया व विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया। वादी द्वारा वाद पैतृक सम्पति में माता की मृत्यु उपरांत विरासतन अधिकारों के आधार पर घोषणा व विभाजन हुेत दायर किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि विरासतन उत्तराधिकार के आधार पर पैतृक संपत्ति का बंटवारा निवर्सीयती सम्पति का ही होगा। वसीयती विन्यास की दशा में विरासतन के आधार पर वाद विधि द्वारा बाधित है। हस्तगत प्रकरण में माता की मृत्यु से पूर्व रजिस्टर्ड वसीयत संपादित है। वसीयत पर निर्णय का अधिकार सक्षम तहसीलदार न्यायालय को प्राप्त है। जहां तक वसीयत की वैधानिकता, मृत्यु से पूर्व वसीयती सम्पति में से सम्पति के अंतरण का प्रश्न है तो उक्त अंतरण वसीयत के सारत्व (पिथ एण्ड सबस्टांस) के अनुरूप है या वसीयत के मूलभाव के विपरीत है का निर्णयन सक्षम तहसीलदार न्यायालय द्वारा वसीयत के संबंध में निर्णय करते समय किया जाना समीचीन होगा। वसीयत की वैधानिकता व अन्य बिंदुओं

Scanned with OKEN Scanner

पर भी निर्णयन सक्षम न्यायालय द्वारा ही पारित किया जाना है। इस प्रकार संबंधित पक्षों के पास वसीयत के निर्णय से पूर्व विरासतन उत्तराधिकार को कोई वादकारण नहीं साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी को वादकारण प्राप्त नहीं होने, बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में होने एवं तथ्यों को छिपाते हुए यह दावा कोर्ट के प्रोसेस का दुरूपयोग करते हुए पेश किया है जो मैरिटलैस एवं बोगस होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner